Schedule XLII-High Court (J) 19 [Old

<u>अनुमन्डल न्यायालय-असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)बनमनखी,पूर्णिया बिहार</u>

समक्ष-सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.-36 /2019 / सी.आई.एस.क्र.-36/2019

प्रेमचंद शर्मा बनाम राजेश यादव एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
09 /08/24	वादी एवं प्रतिवादी की ओर सेउनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है। यहवाद प्रतिवादिगण सं-3 से 7 की ओर सेप्रस्तुत आवेदन दिनांक 1 दिसंबर 2023पर आदेश एक प्रस्तुत किया गयाहै।गुप्ता आवेदन को संचालित करप्रतिवादी करके विद्वान अधिवक्ता द्वारासमर्पित किया गया है कि प्रतिवादिगण जीविका हेतुबाहर चले गए थेजिस कारण सेउनके द्वारा नियत समय के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया जा सका है| दिनांक 6 में2024 कोलिखित कथनप्रस्तुत कर दिया गया हैअतः विनम्र निवेदन है किदिनांक 1 दिसंबर 2023के आदेश को वापस लेते हुएलिखित कथन को ग्रहण किए जाने की कृपा की जाए। वादी के द्वाराआवेदन पर मौखिक आपत्ति व्यक्त किया गया है। उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया | अभिलेख की अवलोकन से प्रतीत होता है उक्त प्रतिवादी इस वाद में दिनांक 4 जून 2022 एवं दिनांक 13 अक्टूबर 2022 को ही उपस्थित हुए थे परंतु उनके द्वारा नियत समय के भीतर लिखित कथन नहीं प्रस्तुत किए जाने के कारण न्यायालय के द्वारा दिनांक 1 दिसंबर 2023 को उनके विरुद्ध आदेश 8 नियम 10 दिवाली प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्रवाई की जाने का आदेश दिया गया है। उक्त प्रतिवादिगण इस वाद में संघर्ष करने के लिए तैयार हैं| वाद के प्रभावी एवं न्यायपूर्ण निराकरण के लिए यह आवश्यक है कि वह उभय पक्ष के अभिवचन को अभिलेख पर लाया जाए| वाद अभी प्रारंभिक स्तर पर है ऐसी दशा में न्याय हित में प्रतिवादिगण के उक्त आवेदन को स्वीकृत कर उनके लिखित कथन को ग्रहण किया जाता है | प्रतिवादी संख्या एक एवं दो के विरुद्ध निर्गत रजिस्टर्ड समन 30 दिन बाद भी वापस इस न्यायालय को प्राप्त नहीं हुआ है ऐसी दशा में प्रतिवादी संख्या एक और दो के विरुद्ध सम्यक तामिला घोषित कर उनके विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई किए जाने का आदेश दिया जाता है| वाद आगामी दिनांक 23/08/24 को वास्ते धारा 89 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायिक निपटारे हेतु नियत| लेखापित- असैनिक न्यायाधीश(व.को.) बनमनखी, पूर्णिया	